

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं012(1)चिस्वा/2/19/आईडी-2717 जयपुर,दिनांक: 24 SEP 2019

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12852/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.19 के अनुसरण में याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन डॉ रतन लाल यादव, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन), उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़, चुरू को जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सीनियर रेजीडेंट (निश्चेतन) में करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

- Eo -

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
- 2-नियंत्रक एवं प्रधानाचार्य, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज अजमेर।
- 3-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़, चुरू।
- 4-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू।
- 5- डॉ रतन लाल यादव, चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन), उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ़, चुरू को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज अजमेर में देकर इस विभाग को भी सूचित करें।
- 6-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर कक्षा।

24/9/19
सहायक शासन सचिव